न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

निगरानी संख्या – 40/2023

भँवरलाल बनाम सरकार आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.2026	निगरानीदार के योग्य अधिवक्ता श्री श्यामलाल सैनी उपस्थित। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक उपस्थित। गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 दिनेश कुमार तथा 3 वासुदेवी की ओर से श्री पवन कुमार शर्मा उपस्थित। गैर निगरानीकर्ता संख्या 5 प्रदीप शर्मा अनुपस्थित। बहस निगरानी सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीदार द्वारा अपनी निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू द्वारा दिनांक 07.02.2023 को पारित एफ.आर. स्वीकार करने सम्बन्धी आदेश पूर्णतः विधि–विरुद्ध, तथ्यों के विपरीत एवं उपलब्ध साक्ष्यों की अनदेखी कर पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया तथा जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कूटरचित एवं अप्रमाणित दस्तावेजों पर विश्वास कर अभियुक्तगण को अनुचित लाभ प्रदान किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि परिवादी भंवरलाल के पक्ष में निष्पादित मुख्त्यारनामा आम दिनांक 12.12.2014 को विधि अनुसार कभी निरस्त नहीं किया गया तथा उसके निरस्तीकरण की सूचना भी परिवादी को न तो डाक द्वारा और न ही व्यक्तिगत रूप से दी गई। कथित डाक पावती पर परिवादी के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा मूल दस्तावेज भी न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं, जिससे स्पष्ट है कि जांच के दौरान कूटरचित छाया प्रतियां तैयार कर प्रकरण को प्रभावित किया गया। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कथित निरस्तीकरण पत्र दिनांक 10.01.2020 एवं घोषणा पत्र दिनांक 22.01.2020 पर स्वयं निष्पादकों राजेन्द्र एवं जितेन्द्र के हस्ताक्षर तक नहीं हैं, अतः ऐसे दस्तावेजों का कोई विधिक मूल्य नहीं है। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, चूरू द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2022 में भी इन्हीं दस्तावेजों को मूल रूप में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अस्वीकार किया जा चुका है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण साक्ष्य एवं निर्णय की पूर्णतः उपेक्षा की। बहस के दौरान यह भी कहा गया कि अभियुक्तगण ने षड्यंत्रपूर्वक फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी एवं विक्रय पत्र तैयार कर परिवादी के मुख्तयारदाता राजेन्द्र एवं जितेन्द्र के हिस्से की भूमि को हड़पने का प्रयास किया, जिससे प्रथम दृष्टया अपराध धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120–बी भा.द.सं. के तत्व स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। यह भी निवेदन रहा है कि यह स्थापित विधि सिद्धांत है कि कूटरचना, धोखाधड़ी एवं जालसाजी जैसे अपराधों में दस्तावेजों की सत्यता, वैधता एवं निष्पादन सम्बन्धी विवाद साक्ष्य के परीक्षण के	

उपरांत ही निर्णीत किये जा सकते हैं, जिन्हें प्रारंभिक स्तर पर एफ.आर. स्वीकार कर समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया जाना न्यायोचित था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

गैर निगरानीदारान की ओर से विद्वान लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्तागण ने विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश को तथ्यों एवं साक्ष्य के आधार पर सही होना बताते हुए निगरानीदार की निगरानी याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि हस्तगत प्रकरण में निगरानीदार ने आरोप लगाया कि अशोक कुमार एवं प्रदीप कुमार द्वारा दिनेश कुमार के पक्ष में दिनांक 10.07.2017 को कोलकाता में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी फर्जी एवं कूटरचित है तथा उसके आधार पर दिनेश कुमार द्वारा दिनांक 12.01.2018 को अपनी माता वासुदेवी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर राजेन्द्र एवं जितेन्द्र के हिस्से की भूमि को हड़पने का प्रयास किया गया। निगरानीदार का मुख्य आधार यह रहा कि राजेन्द्र एवं जितेन्द्र द्वारा उसके पक्ष में दिनांक 12.12.2014 को मुख्त्यारनामा आम निष्पादित किया गया था, जिसे विधि अनुसार कभी निरस्त नहीं किया गया तथा निरस्तीकरण एवं घोषणा पत्र सम्बन्धी दस्तावेज फर्जी एवं कूटरचित हैं। पुलिस अनुसन्धान उपरांत प्रकरण को अदम वकू (झूठा) मानते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे निगरानीदार द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन प्रस्तुत कर चुनौती दी गई, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2023 को अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार करते हुए प्रोटेस्ट पिटीशन खारिज कर दी गई। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी याचिका विचाराधीन है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री, अनुसन्धान अधिकारी द्वारा संकलित अभिलेख, प्रोटेस्ट पिटीशन में वर्णित तथ्यों तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड के समुचित मूल्यांकन के उपरांत विचारपूर्वक आदेश पारित किया गया है। अनुसन्धान से यह तथ्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया कि विवादित भूखण्ड मूलतः गोपीदेवी के हिस्से में था तथा उनके चारों पुत्रों अशोक कुमार, प्रदीप कुमार, राजेन्द्र एवं जितेन्द्र का उसमें बराबर हिस्सा था। यह भी अनुसन्धान में पाया गया कि राजेन्द्र एवं जितेन्द्र द्वारा अपने हिस्से के सम्बन्ध में दिनांक 12.12.2014 को निगरानीदार भंवरलाल के पक्ष में मुख्त्यारनामा आम निष्पादित किया गया था, किन्तु बाद में राजेन्द्र द्वारा दिनांक 19.12.2019 एवं जितेन्द्र द्वारा दिनांक 10.01.2020 को उक्त मुख्त्यारनामे को निरस्त कर दिया गया तथा उसके निरस्तीकरण की सूचना रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निगरानीदार को प्रेषित की गई, जिसकी प्राप्ति सम्बन्धी पावती दिनांक 24.02.2020 की प्रतिलिपि अनुसन्धान के दौरान प्राप्त होकर पत्रावली में संलग्न की गई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकालना कि निगरानीदार को मुख्त्यारनामा निरस्त किये जाने की

	जानकारी थी, उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री पर आधारित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। निगरानीदार द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि निरस्तीकरण पत्र एवं घोषणा पत्र फर्जी एवं कूटरचित हैं तथा उन पर किये गये हस्ताक्षर वास्तविक नहीं हैं किन्तु इस स्तर पर केवल आरोप मात्र के आधार पर अनुसन्धान निष्कर्षों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अनुसन्धान अधिकारी द्वारा सम्बन्धित दस्तावेज पंजीयन कार्यालय से प्राप्त किये गये तथा उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि राजेन्द्र एवं जितेन्द्र द्वारा अपने हिस्से का अधिकार अशोक कुमार एवं प्रदीप कुमार के पक्ष में छोड़ना पाया गया। केवल इस आधार पर कि दस्तावेजों की मूल प्रतियां पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं अथवा निगरानीदार हस्ताक्षरों से इन्कार कर रहा है , सम्पूर्ण अनुसन्धान को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता, विशेषतः जब स्वयं राजेन्द्र एवं जितेन्द्र द्वारा उक्त दस्तावेजों का प्रत्यक्ष खंडन करते हुए कोई स्वतन्त्र आपराधिक कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानीदार द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन के समर्थन में स्वयं के अतिरिक्त किसी स्वतन्त्र साक्षी का परीक्षण नहीं करवाया गया। न तो राजेन्द्र एवं जितेन्द्र, जिनके अधिकार प्रभावित होने का कथन किया गया, को साक्षी के रूप में परीक्षित करवाया गया तथा न ही किसी हस्ताक्षर विशेषज्ञ अथवा अन्य स्वतन्त्र व्यक्ति की साक्ष्य प्रस्तुत की गई। ऐसी स्थिति में केवल स्वयं निगरानीदार के कथनों के आधार पर अनुसन्धान अधिकारी द्वारा संकलित अभिलेखीय सामग्री एवं निष्कर्षों को अस्वीकार करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। अनुसन्धान से यह तथ्य भी सामने आया कि अशोक कुमार एवं प्रदीप कुमार द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में दिनेश कुमार को अधिकार प्रदान किये गये थे तथा उसी आधार पर दिनेश कुमार द्वारा वासुदेवी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया गया। ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120–बी भा.दं.सं. के अपराधों का प्रथम दृष्टया गठन होना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं पाया जाना किसी प्रकार से मनमाना अथवा विधि–विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। प्रकरण के तथ्य मुख्यतः संपत्ति के अधिकार, हिस्सेदारी एवं दस्तावेजों की वैधता से सम्बन्धित प्रतीत होते हैं, जिनका स्वरूप पर्याप्त रूप से दीवानी प्रकृति का है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध सामग्री का समुचित परीक्षण कर तार्किक निष्कर्ष निकाला गया है तथा आदेश में ऐसा कोई गंभीर विधिक दोष अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती जिससे हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो। फलस्वरूप निगरानी याचिका निराधार पाये जाने से खारिज किये जाने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2023 पुष्टि योग्य होने से यथावत रखा जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय को आदेश के प्रति के साथ उनका समस्त अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।	